

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

घोषणा पत्र

दिनांक :

संस्था का नाम : मेवाड़ गर्ल्स बिजनेस स्कूल, गाजियाबाद
छात्र/छात्रा का नाम : अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पिता/अभिभावक का नाम :
पता :
.....
दूरभाष : कार्यालय निवास मो0नं0
सत्र : 2009-10

(यह संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाना है)

रैगिंग से सम्बन्धित नियम व सजा का प्रावधान

रैगिंग के कारण	नियम	सजा
गम्भीर चोट	आईपीसी धारा 326	उम्रकैद
रैगिक के कारण चोट	आईपीसी धारा 323	एक साल तक सजा
फूहड़ या अश्लील एस0एम0एस0 भेजना	आईटी धारा 67	पांच साल तक सजा व 2.5 लाख रुपये तक जुर्माना

□ सीनियर द्वारा नये विद्यार्थियों से अपने नोट्स तैयार करवाना या किसी बहाने से परेशान करना भी रैगिंग माना जायेगा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. मैंने उपर्युक्त रैगिंग से सम्बन्धित नियम एवं सजा के प्रावधान पढ़ लिए एवं समझ लिए हैं।
2. मैं रैगिंग जैसे घृणित कार्य में कभी भी सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी।
3. मैं कैम्पस के अन्दर मर्यादा का पालन करते हुए अच्छे व्यवहार एवं आचरण का प्रदर्शन करूँगा/करूँगी।
4. मैं किसी भी छात्र/छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा/करूँगी जिससे कि उन्हें मानसिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना मिले।
5. मैं किसी भी छात्र/छात्राओं के साथ किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी जिससे कि उन्हें लज्जा एवं अपमान महसूस हो।
6. मैं कैम्पस के अन्दर अथवा बाहर अनुशासित रहकर जूनियर छात्र-छात्राओं को भी अनुशासित रहने की प्रेरणा देता रहूँगा/देती रहूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त में से किसी भी अनुचित कार्य में मुझे लिप्त पाया जाए तो संस्था के प्रहानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वे मुझे संस्था से निष्कासित कर दें, स्कालरशिप अथवा अन्य मिलने वाली सुविधाओं को रोक दें, संस्था के विशेष आयोजनों में भाग लेने से रोक दें, हॉस्टल से निष्कासित कर दें अथवा परीक्षाफल रोक दें या इसी प्रकार की कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभिभावाक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर